



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 14.10.2025

थाना अहरौरा साइबर क्राइम टीम द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की घटना से सम्बन्धित धनराशि ₹ 29,598.00/- को पीड़ित के खाते में कराया गया वापस —

आवेदक मनीष कुमार पुत्र सुदामा प्रसाद निवासी सत्यागंज थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा दिनांक: 12.10.2025 को थाना अहरौरा के NCRP पोर्टल पर टेलीग्राम के माध्यम से ऑनलाइन ₹ 90,000.00/- का फ्राड होने के सम्बन्ध में शिकायत सं 0-23110250160602 के सन्दर्भ में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसपर थाना अहरौरा साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अग्रिम जांच प्रारम्भ की गयी।

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा की साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त जाँच के दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना उपरोक्त घटना से सम्बन्धित धनराशि ₹ 29,598.00/- को आवेदक के खाते में वापस कराया गया। खाते में पैसे वापस आने पर आवेदक द्वारा थाने पर उपस्थित होकर मीरजापुर पुलिस के उच्चाधिकारी एवं साइबर क्राइम टीम थाना अहरौरा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया। थाना अहरौरा साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा आवेदक को साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर सम्बन्धी होने वाली ठगी से जागरूक किया गया।

साइबर क्राइम टीम थाना अहरौरा —

निरीक्षक सदानन्द सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा, मीरजापुर।

महिला आरक्षी महिमा उपाध्याय थाना अहरौरा, मीरजापुर।


